<u>जीवन वर्ष के लिए पालकीय पत्र</u> - 2025

आदरणीय पुरोहितगण, ब्रदरगण, सिस्टरगण और प्यारे विश्वासीगण,

तेरा राज्य आए!
हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं!

"मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें"। (योहान 10:10)
यह पालकीय पत्र हमारे धर्मप्रांत में "जीवन वर्ष" 2025 मनाने की तैयारी में लिखा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास्टरल योजना के अनुसार अगला वर्ष 'जीवन वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस ने वर्ष 2025 को जुबली वर्ष के रूप में घोषित किया है। मैंने पहले ही जुबली वर्ष के इतिहास और महत्व पर एक पालकीय पत्र लिखा है (संदर्भ: चंदा समाचार XLVII, 5 और 6 सितंबर-दिसंबर 2024, पृष्ठ 2-4)। हम इन दोनों अवसरों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सार्थक रूप से मनाएंगे। इस अवसर पर मैं जीवन के मूल्य और स्रोत पर कुछ मेरे विचार आपके मानचिंतन के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। जीवन के बारे में मूलभूत सिद्धांत यह है कि ईश्वर हमारे जीवन के स्रोत हैं और हम केवल इसके कारिन्दे हैं (यिर्मयाह 2:7; अनुवाद 11:12; रोमियों 11:36)। ईश्वर जीवन के स्वामी और स्रोत हैं, और हमें इसका सम्मान करना, इसे बनाए रखना और इसकी सेवा करनी चाहिए। इसी कारण, गर्भपात, हत्या, आत्महत्या, इच्छामृत्यु आदि जैसे कार्य जीवन के खिलाफ हैं और पाप माने जाते हैं। पांचवीं आज्ञा – "तुम हत्या नहीं करोगे" यह जीवन और ईश्वर के खिलाफ एक कार्य है, क्योंकि ईश्वर ही जीवन के स्रोत हैं।
कैथोलिक चर्च की धर्मशिक्षा जीवन की पवित्रता के बारे में सिखाती है: "मानव जीवन पवित्र है क्योंकि इसकी शुरुआत से ही यह ईश्वर की सृजनात्मक क्रिया में शामिल है और यह हमेशा सृष्टिकर्ता के साथ एक विशेष संबंध में रहता है, जो इसका एकमात्र उद्देश्य है। जीवन की शुरुआत से अंत तक केवल ईश्वर ही इसके स्वामी हैं: किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति निर्दोष मनुष्य को नष्ट करने का अधिकार अपने लिए दावा नहीं कर सकता" (CCC, 2258)। इसलिए, हर मानवीय जीवन, किसी भी स्थिति में सम्मान के योग्य है। हर व्यक्ति मानव जीवन की रक्षा करने के लिए बाध्य है और प्रत्येक को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। गर्भपात के संबंध में कलीसिया हमें सिखाती है कि यह एक मजबूरी मानव व्यक्ति का सवाल है, जिसे अपनी रक्षा का अधिकार हमेशा से वंचित रखा गया है। "व्यक्ति के अविच्छेद्य अधिकारों को नागरिक समाज और राजनीतिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता और सम्मान दिया जाना चाहिए। ये मानव अधिकार न तो किसी व्यक्ति या माता-पिता पर निर्भर करते हैं और न ही ये समाज और राज्य द्वारा दी गई कोई रियायत हैं; ये मानव प्रकृति से संबंधित हैं और उस सृजनात्मक क्रिया के कारण व्यक्ति में

निहित हैं जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे मौलिक अधिकारों में से एक है हर मानव का जीवन और शारीरिक अखंडता का अधिकार, जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक मान्य है (CCC, 2273)। पांचवीं आज्ञा - "तुम हत्या नहीं करोगे" (निर्गमन 23:7, मत्ती 5:21) किसी भी प्रकार से मानव जीवन की समाप्ति को सख्ती से निषेध करती है। यह पवित्र बाइबल के मूल सिद्धांतों में से एक है। सृष्टि के क्रम में, विशेष रूप से मानव जीवन को बाइबल में संरक्षित किया गया है। हत्या पर प्रतिबंध और उसका आधार उत्पत्ति 9:6 में प्रस्तुत किया गया है: "जो किसी मनुष्य का रक्त बहाएगा उसका रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया" (उत्पत्ति 1:27)। जीवन और शारीरिक स्वास्थ्य ईश्वर द्वारा हमें सौंपी गई अनमोल भेंट हैं। हमें जीवन और शारीरिक स्वास्थ्य की उचित देखभाल करनी चाहिए साथ ही दूसरों की आवश्यकताओं और सामूहिक भलाई का ध्यान रखना चाहिए। हर मानव जीवन गर्भाधान के क्षण से लेकर मृत्यु तक सुरक्षित है, क्योंकि मानव को जीवित और पवित्र ईश्वर के स्वरूप और समानता में उसकी अपनी भलाई के लिए बनाया गया है (CCC, 2319)।

कलीसिया की शिक्षा है कि जीवन की पवित्रता यह सुनिश्चित करती है कि मानव जीवन गर्भाधान के क्षण से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक संरक्षित हो। कलीसिया यह मानती है कि हर किसी को जीवन का अधिकार है जिसे हर स्तर पर संरक्षित और मूल्यवान माना जाना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है (उत्पत्ति 1:27)।

पोप संत जॉन पॉल द्वितीय ने मानव व्यक्ति के अतुलनीय मूल्य के बारे मे बताते हुए कहा: "मनुष्य को उस जीवन की पूर्णता के लिए बुलाया गया है, जो उसके सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं से कहीं अधिक है, क्योंकि इसमें ईश्वर के ही जीवन में सहभागी होना निहित है" (Evangelium Vitae, 2)।

पोप फ्रांसिस ने (Evangelium Vitae) के 25 वर्ष पूरे होने पर 25 मार्च 2020 को अपने सामान्य दर्शन संदेश में कहा: "जीवन का सम्मान करो, उसकी रक्षा करो, उससे प्रेम करो और उसकी सेवा करो – हर जीवन का, हर मानव जीवन का! केवल इसी मार्ग पर तुम्हें न्याय, विकास, स्वतंत्रता, शांति और आनंद मिलेगा"।

पोप पौलुस छठवें ने Humanae Vitae (25 जुलाई 1968) में सिखाया कि, "ईश्वर जीवन का स्रोत है" क्योंकि उन्होंने कहा: "मानव जीवन की उत्पत्ति एक अत्यंत गंभीर कार्य है जिसमें विवाहित लोग ईश्वर सृजनकर्ता के साथ स्वतंत्र और जिम्मेदार हो के सहयोग करते हैं" (#9)। इस प्रबोधन पत्र में उन्होंने विवाहित प्रेम, जिम्मेदार पितृत्व, और कृत्रिम गर्भनिरोध के अस्वीकार के संबंध में कलीसिया की शिक्षा की पुष्टि की।

जीवन ईश्वर की देन है और यह हमें नि:शुल्क प्रदान किया गया है। ईश्वर ने न केवल जीवन समाप्त करने से मना किया है, बल्कि जीवन के प्रवाह में बाधा डालने या उसे रोकने से भी मना किया है। ईश्वर चाहते हैं

कि हम सभी प्रकार के जीवन - मानव, पशु और वनस्पति का सम्मान करें। जीवन को नुकसान पहुंचाना, इसे रोकना या किसी भी प्रकार के जीवन को समाप्त करना ईश्वर की आज्ञा - "तुम हत्या नहीं करोगे" के खिलाफ है। 'जीवन वर्ष' 2025 के दौरान हम 'जीवन के समर्थक' की दिशा में कदम बढ़ाने और जीवन का सम्मान और संरक्षण करने का संकल्प लेंगे।

ईश्वर सबको आशीर्वाद दें।

खीस्त में आपका विश्वासु

† एफ्रेम नरीकुलम
धर्माध्यक्ष, चांदा धर्मप्रांत

NB: Kindly read this Pastoral Letter in any of the Sundays in January 2025.